

<p>तारीख हुक्म</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज</p> <p>कालूराम बनाम लो.सू.अ. ( उपखण्ड अधिकारी फलोदी )</p> <p>सू.अ.अ. अपील संख्या 182/2020</p>	<p>नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</p>
<p>13.11.20</p>	<p>अपीलार्थी कालूराम पुत्र खम्भाराम, पता बासनी डांवरा, ग्राम डांवरा तहसील बावड़ी जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना-पत्र दिनांक 11.08.20 में उसके द्वारा (1) जोधपुर जिले के बावड़ी तहसील के ग्राम पंचायत डांवरा में राजस्व अभियान दिनांक <b>17.05.1989</b> के आपसी सहमति से बंटवाड़ों की प्रमाणित प्रतिलिपियां, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी ( उपखण्ड अधिकारी फलोदी ) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।</p> <p>अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष ( उपखण्ड अधिकारी फलोदी ) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थी अनुपस्थित।</p> <p>हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.पक्ष ( उपखण्ड अधिकारी फलोदी ) से आदिनांक तक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी ( उपखण्ड अधिकारी फलोदी ) को निर्देशित किया जाता है कि सूचना प्रार्थी को 15 दिवस में उपलब्ध करावे, अन्यथा सूचना नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जाय। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।</p>	

